

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/116/2023

रजि0नम्बर  
2023/443

प्रवेश तिथि  
03-08-2023

निर्णय दिनांक  
11-07-2024

01- रवि मीना पुत्र अर्जुनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ।

—अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर ।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक  
27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 117/2022

उपस्थित:-

01-श्री जलालुदीन

—वकील अपीलाण्ट



अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत से तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 117/2022 जिसके द्वारा सम्वत 2079 में ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 779 रकबा 6.00 है0 मे से 0.50 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तार्ईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का बगड राजपूत ने एक रिपोर्ट में तहत अदालत में इस आश्य की पेश की है, कि सम्वत 2079 में ग्राम बगड के आराजी खसरा न0 779 रकबा 6.00 है0 मे से 0.50 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तार्ईद भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय परित करते हुये आदेश दिया गया। कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 1.00/-रुपये का 50 गुना रूपया 50/-रुपयें पेनल्टी आरोपित की जाकर मॉंग कायमी हेतु टी. आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीमाली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0अ0निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नंबर 779 रकबा 6.00 है0 वाके ग्राम बगड

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)



आराजी खसरा नंबर 779 रकबा 06.00 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम बगड़ राजपूत तहसील रामगढ़ जिला अलवर से मैंने अतिक्रमण हटा लिया है और मैं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। अपीलान्ट के हलफनामे के आधार पर अपीलान्ट की अपील अपीलान्ट की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को ~~द्वारा~~ द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)